

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 170/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एच डी एफ सी लि. शाखा सी-25, भगवान दास रोड, सेंट जेवीयर स्कूल के सामने, सी स्कीम-जयपुर।
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्रीमती संतोष गौतम पत्नी श्री महावीर गौतम
2. श्री जयन्त गौतम पुत्र श्री महावीर गौतम
पता-निवासी फ्लैट नं. एस-1, फ्लोर, प्लॉट नं. 264, कटेवा नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला,
जयपुर
429, देवीनगर, सोडाला, न्यू सांगानेर, रोड जयपुर एवं
आरजेड 20 सी, /6 जी, मैन सागरपुर गीता भवन फाटक क्लिनिक के पास, दिल्ली केन्ट न्यू दिल्ली

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation
and reconstruction of financial assets and
enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :-

1. श्री विनोद कुमार चौहान अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 21.10.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.04.2016 को भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी संतोष गौतम पत्नी श्री महावीर गौतम के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं. एस-1, फ्लोर, प्लॉट नं. 264, कटेवा नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर क्षेत्रफल 1020 वर्गफिट को बन्धक कर कुल राशि 30,50,000/- की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.04.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने


जस्ट्रेट
जयपुर

पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के विभागीय प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 30,50,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 35,00,459/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 05.04.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5 अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी संतोष गौतम पत्नी श्री महावीर गौतम के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं. एस-1, फ्लोर, प्लॉट नं. 264, कटेवा नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर क्षेत्रफल 1020 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
7. आदेश आज दिनांक 21.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।


21/10/21
(अन्तर सिंह नेह्रा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर